तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **कोहलाराम वगैरह बनाम पोकराराम वगैरह, मुकदमा संख्या – 09/2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
20.01.2025		

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वांके सरहद मौजा डडुसण, पटवार हल्का–बावरला में प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत खसरा नंबर 349 रकबा 2.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 351 रकबा 11.78 हैक्टेयर जुमले रकबा 14.48 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व खसरा नंबर 344 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या एक व दो एवं अप्रार्थी संख्या एक से तीन का 1/2 व अप्रार्थी संख्या चार का 1/2 खातेदारी अलग कब्जाकाश्त व स्वामित्व का आया हुआ है। उक्त आराजी का लगान प्रार्थीगण माफिक हिस्से अनुसार नियमानुसार अदा करते आ रहे है, तथा गिरदावरी भी हम प्रार्थीगण के नाम तज्वीज होती आ रही है। वादग्रस्त भूमि का मौके पर तो प्रार्थीगण का व अप्रार्थीगण का अलग कब्जाकाश्त है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूमि शामलाती होनें से अप्रार्थी संख्या एक से चार आये दिन प्रार्थीगण के अलग कब्जेकाश्त में दखलदांजी पैदा कर मौके पर मौजूद माठ इत्यादि में परिवर्तन कर अपने खेतों में मिलानें की चेष्ठा करते रहते है तथा वृक्ष इत्यादि काटनें को तुले रहते है तथा हमारे हिस्से की भूमि में काश्त करने में भारी अवरोध पैदा कर मौके पर अपनी औरत को आगे कर झगड़ा टंटा करने को तुले रहते है। कई बार पंच पंचायती भी करवाई, लेकिन अप्रार्थीगण नहीं मानकर ऐलानियां धमकियां देते है कि वादग्रस्त भूमि में आपको काश्त नहीं करने देंगे। आपको कब्जे से बेदखल करेंगें जो प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण उपरोक्त अवैधानिक कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को तरह तरह के मुकदमें बाजी में उलझना पड़ेगा, वाद की बहुलताएं बढ़ेगी व कानूनी जटिलताएं पैदा होगी। प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई दृव्यों में संभव नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा डडुसण, पटवार हल्का–बावरला के खेत खसरा नंबर 349 रकबा 2.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 351 रकबा 11.78 जुमले रकबा 14.48 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 344 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला–सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:14 IST
Reason: SelfAttested